

(To be published in Part-IV of Delhi Gazette, Extraordinary)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT
7TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I. P. ESTATE, NEW DELHI


No.F.12/01/2010/AR / 14097-14256/c

Dated: 31/12/12

NOTIFICATION

No.F.12/01/2010/AR- In pursuance of Clause 2 of Government of National Capital Territory of Delhi's Resolution No.F.4/14/94-AR dated 25-09-1997 as amended vide Resolution No.F.4/14/94-AR dated 30-07-1998, the Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Praveen Kumar Tripathi as Chairman, Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi for a period of 5 years from the date of his joining or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier. Hon'ble Lt. Governor has further ordered that, his terms & conditions of appointment shall be same as were provided to Sh. R. Narayanaswami IAS (Retd.), Ex-Chief Secretary.


2. The Hon'ble Lt. Governor, Delhi is further pleased to appoint him as Advisor to Govt. of NCT Delhi on "Reforms and Innovation" in Governance.


(DR. M.M. KUTTY)
PR. SECRETARY (AR)

No.F.12/01/2010/AR/14097-14256/c

Dated: 31/12/12

1. All Pr. Secretaries / Secretaries / Spl. Secretaries / Jt. Secretaries / Dy. Secretaries of Govt. of NCT of Delhi.
2. All Head of Departments, Government of NCT of Delhi.
3. All Heads of Local Bodies / Autonomous Bodies / Undertaking and other institutions owned or substantially financed by the Govt. of NCT of Delhi.
4. Pr. Secretary to Lt. Governor / Pr. Secretary to Chief Minister / Secretary to Ministers, Govt. of NCT of Delhi.
5. Shri Praveen Kumar Tripathi, E-1/2, Satya Sadan, Chanakya Puri, New Delhi - 110021.
6. Secretary, Public Grievances Commission, Govt. of NCT of Delhi.
7. O.S.D. to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
8. Dy. Secretary (Coordination), Govt. of NCT of Delhi for publication in Delhi Gazette.
9. Guard file.


(DR. M.M. KUTTY)
PR. SECRETARY (AR)

(दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
सातवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपी0इस्टेट, नई दिल्ली.

फा.सं. 12/01/2010/प्र.सु./14097-14256/6

दिनांक: 31/12/12

अधिसूचना

सं.फा. 12/01/2010/प्र.सु.- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25.09.1997 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. जो दिनांक 30.07.1998 के यथासंशोधित संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ, के खंड-2 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी को जन शिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उनकी आयु 65 वर्ष हो जाने तक जो भी इनमें पहले हो, के लिये नियुक्त करते हैं। माननीय उपराज्यपाल ने आगे यह आदेश किया है कि उनकी नियुक्ति की शर्तें वही होंगी जो श्री आर. नारायणस्वामी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) निवर्तमान मुख्य सचिव को उपलब्ध थी।

2. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली आगे उनको शासन में "सुधार एवं नयाचार" पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिये परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त करते हैं।

(डॉ० माधवन कुदटी)

प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

फा.सं. 12/01/2010/प्र.सु./14097-14256/6

दिनांक: 31/12/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. समस्त प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय/स्वायत्त निकाय/उपक्रम एवं अन्य संस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वामित्व अथवा भरपूर वित्तीय सहायता प्रदान की गई हो।
4. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्रियों के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, ई-1/2, सत्य सदन, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-21.
6. सचिव, जन शिकायत आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. उप सचिव (समन्वय), सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाईल।

(डॉ० माधवन कुदटी)

प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)